रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1630] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2015/श्रावण 13, 1937
No. 1630] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2015/SHRAVANA 13, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

का.आ. 2118(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 14घ के साथ पठित धारा 14ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बिपिन बिहारी श्रीवास्तव को, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, दूर-संचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं.15/1/2014-पुनर्गठन]

वी. उमाशंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

S.O. 2118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14B, read with section 14D of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri Bipin Bihari Srivastava, as a member of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, for a period of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 15/1/2014-Restg.]

V. UMASHANKAR, Jt. Secy.

3342 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.